ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO. 180-181
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-6, Issues-7 YEAR- 2016 (Extra)

मगध की संस्कृति में बुद्ध गया

मनोज कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) भारत

सारांश : *भारतवर्ष में गया का बौद्ध–मन्दिर बौद्ध–धर्म का एक सबसे बड़ा स्मृति–चिन्ह है। हिन्दुस्तान में यो तो बौद्धों के चार मुख्य तीर्थ–स्थान हैं– (1) कपिलवस्तु– जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, (2) बुद्ध गया– जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, (3) श्रावस्ती– जहाँ बुद्ध ने सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार किया था, (4) कुसीनगर– जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था।*

इन चारों में बुद्ध–गया का सबसे भारी महत्त्व है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने निर्वाण के समय अपने समस्त अनुयाइयों को यह आदेश दिया कि वह इस स्थान के दर्शन करते रहें।

इस मन्दिर का निर्माण बुद्ध 236 वर्ष बाद सम्राट् अशोक ने किया था। और मन्दिर को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर एक मजबूत पत्थर की चवेदिका बनवा दी थी, जिसके खण्डहर अब भी देखने को मिलते हैं।

बहुत काल तक तो यह मन्दिर मगध के राजाओं की अधीनता में रहा। जब मुसलमानों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने भातरवर्ष पर आक्रमण किया और बिहार उनके दखल में आ गया, तब 1200 ई0 में बख्तियार खिलजी ने इस मन्दिर का विध्वंस करा दिया। अशोक ने जहाँ पर यह मन्दिर बनवाया, वहाँ एक महान् ग्राम था, जो कि टकर राज्य की अमलदारी में था।

बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद यद्यपि वह स्थान उजाड़ हो गया था, परन्तु बौद्ध लोग तो बार–बार इसके दर्शन के लिए आते ही रहते थे। फाहियान जैसे प्रमुख यात्रियों ने भी इसके दर्शन किए थं।

सन् 1727 में महमूदशाह ने इस मन्दिर के तत्कालीन महन्त को दो गाँव इनायत किए, जो कि मन्दिर के नजदीक थे और एक सनद भी लिख दी थी।

19वीं शताब्दी के अन्त में बर्मा के राजा मिनडूनमिन ने बहुत से रूपये खर्च करके मन्दिर की मरम्मत करवाई और उसको अपने अधिकार में ले लिया। भूतपूर्व महन्त ने अपने अधिकार उन्हें दे दिए और फिर से वहाँ बुद्ध पुजारी रहने लगे। लेकिन पीछे जब भारत–सरकार और बर्मा के राजा में लड़ाई हुई और थीवा पकड़ा गया तथा बर्मा सरकार के कब्जे में आ गया, तब बौद्ध–मन्दिर पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया। इसके बाद बराबर यह कोशिश की जाती रही कि इस मन्दिर की मरम्मत कराई जाए। ग्रियर्सन साहग गया के मजिस्ट्रेट ने भी सरकार को मरम्मत के लिए लिखा था।

जब बर्मा के राजा ने मन्दिर की मरम्मत की आज्ञा ली थी, तब शर्त यह थी कि कोई नया काम शुरू न किया जाए, सिर्फ मरम्मत ही की जाए। सन् 1877 में बाबू राजेन्द्रपाल ने बर्मी कारीगरों को काम देखने के लिए बौद्ध–गया की यात्रा की और उनकी रिर्पोट पर एप्रिल मास में काम बन्द कर दिया गया।

उसी साल फिर जब बर्मा के राजा अंग्रेज अफसरों की अध्यक्षता में काम शुरू हुआ। सन् 1879 में मि0 बर्गलर ने सरकार को बर्मा कारीगरों की लापरवाही की शिकायत की तो सरकार ने मरम्मत का काम अपने हाथों में ले लिया और उसकी मरम्मत पूरी हो गई इस प्रकार मरम्मत में दो लाख रूपया खर्च हुआ। मरम्मत हो जाने के बाद ग्रियर्सन साहब ने सरकार से यह पूछा कि यह मन्दिर पी0 डब्ल्यू0डी0 के अधिकार में कब आएगा? सरकार ने उनका जबाव दिया कि 1 अप्रैल सन् 1881 ई0 को पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकार में ले लिया जाएगा। ठीक समय रप सरकार ने मन्दिर को पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकार में दे दिया और तब से यह पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकार में है, और बराबर मरम्मत होती रहती है।

इसके बाद जब अनागरिक धर्मपाल ने इस मन्दिर की यात्रा की तो उनके मन में धार्मिक विचार पैदा हुए, और उनका यह विचार हुआ कि इस मन्दिर पर बौद्धो का अधिकार होना चाहिए। उन्होनें कोलम्बों में महाबोधि–सोसाईटी स्थापित की और बहुत सी लिखा–पढ़ी के बाद सरकार ने महाबोधि सोसाईटी के मन्त्री को विश्रामागार के दो कमरों की चाभियाँ दे दी और फिर वहाँ बौद्ध–भिक्षु रहने लगे और पूजा–अर्चना करने लगे। महन्तजी में और अनागरिक धर्मपाल में मेल हो गया। एक चाण्डाल कन्या मन्दिर के सहन की साफ किया करती थी। बौद्ध–भिक्षु रात–दिन मन्दिर में रहते थे और आराधना करते थे। इसके बाद एक बड़ी भारी सभी पटना में हुई इस बात की कोशिश की गई कि इस मन्दिर को सर्वथा बौद्धों के अधीन कर लिया जाए। थोड़े ही दिनों में बुढ़े महन्त जी मर गए और नवीन महन्त गद्दी पर बैठे तो उनसे बौद्धों की अनबन हो गई।

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-6, Issues-7 YEAR- 2016 (Extra)

इसके बाद जापान में एक 700 वर्ष पुरानी मुर्ति अलनागरिक धर्मपाल को मिली। जिसकी स्थापना उन्होंने मन्दिर की दूसरी मंजिल पर करने का विचार किया। लेकिन अनागरिक धर्मपाल का यह इरादा जब महन्त जी को मालूम हुआ तो वह बड़े क्रोधित हुए और उनमें झगड़ा हुआ। परिणाम यह हुआ कि मुकदमा फौजदारी हो गया और उसमें महन्तजी के तीन चेलों को एक–एक महीने की सजा और 100–100 रूपए जुर्माने का हुक्म हुआ।

हाईकार्ट में अपील दायर हुई तो यद्यपि अपराधियों की सजा रद्द हो गई परन्तु यह स्पष्ट रहा कि यह मन्दिर बौद्धों का है और इस पर बौद्धों ही का अधिकार रहना चाहिए।

थोड़े दिनों बाद जापान से मि0 ओकाकोरा हिन्दुस्तान आए और उन्होंने मन्दिर के आस–पास जमीन खरीद कर जापानी विश्रामागार बनाने का निर्णय की। उन्होंने बौद्ध–गया में स्वामी श्रद्धानन्द और सविता देवी से बात की और वहाँ एक ''जापानी हिन्दू–संघ'' खोलने का विचार किया। सरकार को यह बात मालूम हुई और उसने जाना कि इसमें एक महान् राजनीतिक षड़यन्त्र है तो उसने बौद्धों को वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया।

लार्ड कर्जन वायसराय थे, उन्होंने एक कमीशन नियत किया, जिसके सदस्य जस्टिस सुरेन्द्र नाथ और हरिप्रसाद शास्त्री थे। शास्त्री जी ने बौद्धों के पक्ष में और मि0 जस्टिस ने विपक्ष में मत दिए। रिपोर्ट पर सरकार ने बौद्धो को निकालने का हुक्म दे दिया। ओकाकोरा का विचार ज्यों–का–त्यों रह गया।

इसके बाद महन्त ने मन्दिर पर दीवानी मुकदमा दायर किया और उन दोनों विश्रामागार के कमरों पर से भी बौद्धों का अधिकार हट गया और सारे मन्दिर पर महन्त का अधिकार हो गया।

इस वक्त मन्दिर पर महन्त ही का अधिकार है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पूजा–विधि बौद्धों की पूजा–विधि ा से भिन्न है। बौद्धों को वहाँ पूजा करने से रोका जाता है।

यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नहीं है फिर भी यह वास्तविक बात है कि वह मन्दिर बौद्धों का हैं, अतः उस पर बौद्धों ही का अधिकार होना चाहिए। वहाँ प्रति वर्ष सैकड़ों बकरे काटे जाते हैं और चिड़ियों का शिकार किया जाता है।

सन् 1952 तक गया का बौद्ध–मन्दिर महन्तजी के पास रहा। उसके पश्चात् यह मन्दिर पूरी तरह बौद्धों के अधिकार में है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य चतुरसेन शास्त्री, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म, परशुराम हिन्दी संस्थान, दिल्ली– 2008
2. देवेश ठाकुर, बुद्ध गाथा, शैवाल प्रकाशन, गोरखपुर।
3. श्री हवलदार त्रिपाठी 'सह्रदय' बौद्धधर्म और बिहार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना।
4. के0 सी0 श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, युनाईटेड बुक डिपो, इलाहाबाद।
5. एस0 के0 पाण्डे, प्राचीन भारत, प्रयाग एकेडमी पब्लिकेशन्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद।
6. बी0डी0 महाजन, प्राचीन भारत का इतिहास, एस0 चन्द कम्पनी लि0 नई दिल्ली।

*****

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14